न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 662/2026

शेर मौहम्मद पुत्र श्री रूजदार, उम्र करीबन 22 साल, निवासी असरफ की मस्जिद के पास, बख्तल की चौकी, पुलिस थाना एम.आई.ए., जिला अलवर (राज.)

---**प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

---**विपक्षी**

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2026, पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थितः-

1- श्री विकास कुमार मीना, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 03.06.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त शेर मौहम्मद की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2026, पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 15.05.2026 को समय 02:50 पी.एम. पर वह मय जाब्ता मुखबिर की सूचना पर थाने से रवाना होकर सैयद बाबा की मजार के पास पहुंचे, तो वहां एक शख्स नीम के पेड के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर भागने लगा, जिसको जाब्ता की मदद से पकडा और उसके कब्जे से छुरे को लिया जाकर, नाप की गई तो फाल की लंबाई 10 इंच, हत्था लकडी लंबाई 4.8 इंच, फाल की चौडाई 1.7 इंच, हत्था व फाल सहित लंबाई 14.8 इंच पाई गई तथा उक्त शख्स से नाम-पता पूछा, तो उसने अपना नाम शेर मौहम्मद होना बताया। उक्त शख्स से अवैध रूप से छुरा रखने व सरे आम लेकर घुमने बाबत लाईसेंस के बारे में पूछा, तो नहीं होना बताया। जब्त शुदा माल को मुताबिक फर्द के जमा मालखाना कराया.....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2026, अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई और दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 15.05.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे प्रकरण में झूठा व गलत फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई अवैध हथियार बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक है, जिसके पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से छुरा बरामद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप है, जिसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 03 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	543/2017 कोतवाली, अलवर	-	-	19/54 R.Ex. Act	-	-	-
2.	718/2017 कोतवाली, अलवर	-	-	4/25 Arms Act	-	-	-
3.	115/2019 जी.आर.पी., अजमेर	-	-	356, 379 I.P.C.	-	-	-

7- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उसके चैतन्यशील कब्जे से धारदार हथियार छुर्रा बरामद किये जाने संबंधी धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से हम पाते है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वे समस्त प्रकरण वर्ष 2019 के पूर्व के हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 15.05.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत करीबन 20 दिनों से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त शेर मौहम्मद पुत्र श्री रूजदार की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपए का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानत पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर